



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929

No. 171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

(आय-कर)

का.आ. 267(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ बंधपत्र को जीरो कूपन बंधपत्र विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- | | | |
|--|---|--|
| (क) बंधपत्र का नाम | — | नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) का दस वर्षीय जीरो कूपन बंधपत्र; |
| (ख) बंधपत्र की जीवन अवधि | — | दस वर्ष; |
| (ग) बंधपत्र जारी होने की समय-सूची | — | 31 मार्च, 2009 को या उसके पूर्व जारी किए जाने के लिए; |
| (घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदेय की जाने वाली रकम | — | प्रत्येक बंधपत्र के लिए दस हजार रुपए; |
| (ङ) बट्टा | — | बंधपत्र के जारी होने के समय नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा विनिश्चय किया जाना है; और |
| (च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या | — | तीस लाख। |

2. यह अधिसूचना आय-कर नियम, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा करने के अध्वधीन है।

[अधिसूचना सं. 23/2008/फा. सं. 153/130/2007-टीपीएल]

संजित त्रिपाठी, अवर सचिव